

1.	योजना का नाम	संयुक्त सहायता अनुदान योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	पात्र विशेष योग्यजनों, जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है, को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए रुपये 7,000/- तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 1986
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. प्रार्थी को चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्योग्यता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो। जो कि 40 प्रतिशत से कम का नहीं हो। 3. प्रार्थी जो किसी रोजगार में हो अथवा स्वरोजगार में लगा हुआ हो। उसके परिवार सहित समस्त स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर आयकर दाता नहीं हों।
6.	देय सुविधाएं	कृत्रिम अंगों एवं उपकरणों के लिए अधिकतम राशि 7,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है।
7.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● विकलांगता प्रमाण-पत्र ● आय प्रमाण-पत्र ● जन्म प्रमाण-पत्र ● आय का शपथ पत्र ● पहचान प्रमाण-पत्र इत्यादि वांछित दस्तावेज
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।